International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

महात्मा गाँधी: राष्ट्रभाषा

मनीष कुमार[1] अप्पु कुमार[2]

[1] छात्र,महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
[2] छात्र महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

सार

राष्ट्र भाषा एक ऐसी भाषा (या भाषा का रूप) होती है जिसका किसी राष्ट्र के साथ वास्तविक या विधिक रूप से मजबूत सम्बन्ध होता है। इस शब्द का प्रयोग विभिन्न सन्दर्भों में काफी अलग-अलग तरीके से किया जाता है। किसी देश के भूभाग में प्रथम भाषा के रूप में बोली जाने वाली एक या अधिक भाषाओं को अनौपचारिक रूप से या कानूनी रूप से देश की राष्ट्र भाषाओं के रूप में नामित किया जा सकता है। आज 150 से अधिक देशों ने अपने संविधान में राष्ट्र भाषाओं का उल्लेख किया है। वहीं, कई ऐसे देश भी हैं जहाँ किसी राष्ट्र भाषा का उल्लेख नहीं है, जैसे-भारत भारतीय संविधान में भारत की कोई राष्ट्र भाषा का उल्लेख नहीं है। सरकार ने 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है। जिसमे केंद्र सरकार ने अपने कार्यों के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है। इसके अलावा अलग-अलग राज्यों में स्थानीय भाषा के अनुसार अलग-अलग राजभाषा को चुना गया है।

मूल शब्द: राष्ट्र भाषा, राजभाषा, आधिकारिक, भू-भाग, देश

प्रस्तावना:

आज दुनिया के 150 से भी अधिक देश हैं, जिनके पास एक राष्ट्र भाषा है। वे अपनी कार्य अपनी भाषा में करते हैं। राष्ट्र भाषा एक ऐसी भाषा होती है जिसका किसी राष्ट्र के साथ वास्तविक या वहां के लोगों के साथ उसका एक मजबूत सम्बन्ध होता है। राष्ट्रों की विचारधारा, भावों की संपत्ति, रीति-नीतियाँ और संस्कृति आदि हर चीज उसकी अपनी भाषा में सुरक्षित रहा करती हैं। भारत जैसे विशाल व महत्त्वपूर्ण देश का अभी तक कोई राष्ट्र भाषा नहीं बन पाया है। अपितु 14 सितम्बर 1949 को संविधान की भाषा समिति ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए अनेक बुद्धजीवी व विचारक ने अपनी लड़ाई लड़ी, इन्ही महान विचारकों में से एक थे महात्मा गाँधी राष्ट्रभाषा के बारे में बोलते हुए यहाँ तक कहा है कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा समान है।

राष्ट्रभाषा एवं उसकी महत्ता :

आधुनिक राष्ट्र - राज्य में भाषा एक महत्पूर्ण सूत्र है जो उस राष्ट्र के लोगों को एक सूत्र में जोड़ती है। राष्ट्रभाषा एकता को बढ़ाती है, देशवासियों के मध्य विचारों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करती है और समुचित आर्थिक विकास एवं सुचारू राज-व्यवस्था के लिए भी जरुरी होती है।19वीं शताब्दी से राष्ट्रभाषा ने एक राजनैतिक विचारधारा का स्वरूप धारण कर लिया और सम्पूर्ण विश्व में राष्ट्रभाषा के आधार पर आधुनिक राष्ट्र-राज्यों का गठन होने लगा यूरोप इसका एक उदाहरण है जहाँ 19 वीं शताब्दी में बड़े-बड़े मध्यकालीन साम्राज्य ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य, तुर्क साम्राज्य कई आधुनिक राष्ट्रराज्यों में तब्दील हो गये और यह प्रक्रिया आज तक कई देशों में जारी है जहाँ एक से अधिक भाषायें बोली जाती हैं।

डॉ. अंबेडकर ने भी एक राष्ट्रभाषा की महत्ता को भारत के परिप्रेक्ष्य में समझा और कहा "स्वतंत्र राष्ट्रीयता और स्वतंत्र राज्य के बीच में एक सकरी सड़क ही होती है। भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन उचित तो है किन्तु यही भाषा उनको एक स्वतंत्र राज्य में विकसित करने में सक्षम है।"

संक्षेप में राष्ट्रभाषा के निम्नलिखित लाभ हैं:

- यह देश को एक पहचान देती है।
- यह देश को एक सूत्र में पिरोने में मदद करती है।
- यह सुचारू राज-व्यवस्था को चलाने में मदद करती है।
- राष्ट्रभाषा देशव्यापी विचारों के आदान-प्रदान में सहायक होती है।
- एक भाषा आर्थिक रूप से भी लाभकारी होती है क्योंकि इससे अंतर्देशीय व्यापार में सहायता होती है और विदेशी व्यापारियों को केवल एक ही भाषा सीखनी पड़ती है।

- एक राष्ट्रभाषा सामाजिक एवं राजनितिक समरसता को बढाती है।

राष्ट्रभाषा भारत के परिप्रेक्ष्य में:

भारत एक राष्ट्र राज्य नहीं अपितु राज्य राष्ट्र है अर्थात इसमें कई सारी राष्ट्रीयताएँ मिलकर भारतीय राष्ट्रीयता का समन्वय करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत विविध धर्मों, पंथों, भाषाओं, रीति-रिवाजों, इत्यादि का अद्भुत संगम है। भारत की एकरूपता का कारण ऐतिहासिक, धार्मिक, आत्मिक समरूपता में है जहाँ उसने हर धर्म, पंथ, समुदाय को अपनाकर अपनी संस्कृति में डाल लिया और साथ में विभिन्न समुदायों, भाषाओं को पनपने व विकसित होने का अवसर भी दिया। भारतीय संस्कृति को कुछ शब्दों में व्यक्त करना हो तो हम कह सकते हैं: "वसुधैव कुटुम्बकम" भारत में जहाँ हर कोई भारतीय है तो वहीं गुजराती, तमिल, कन्नड़, इत्यादि भी हैं। इसलिए स्वाधीनता के पञ्चात, जब 1956 में भाषाई राज्य गठित किये गए तो इस कदम ने भारतीयता को सुदृढ़ ही किया जैसा कि अब तक का अनुभव बताता है। इसलिए राष्ट्रभाषा का मुद्दा भारत राष्ट्र के सन्दर्भ में एक महत्त्वपूर्ण किन्तु जटिल मुद्दा है: भारत में कुल 22 भाषाओं को राजकीय दर्जा प्राप्त है जबकि 201। जनगणना के अनुसार भारत में 1635 भाषाएँ हैं और 10,000 या अधिक जनसंख्या के समुदाय द्वारा बोली जाती है। अधिकतर भाषाएँ दो भाष-परिवारों से सम्बंधित हैं-

- भारतीय आर्य भाषा समूह- हिंदी, उड़िया, गुजराती, मराठी, इत्यादि
- द्रविड़ भाषा समूह- कन्नड़, तेलुगु, तामिल, मलयालम, आदि

कुछ भाषाएँ जो उत्तर-पूर्व व केन्द्रीय भारत के कुछ कबीलों में बोली जाती हैं, वे अन्य भाषा समूहों से सम्बंधित हैं। अतः राष्ट्रभाषा का दर्जा एवं उसका निष्पादन एक जटिल मुद्दा है जिसका स्वयं का एक इतिहास है। राष्ट्रभाषा के स्वरुप, उसकी चुनौतियों व संभावनाओं को समझने के लिए इसका अध्ययन आवश्यक है।

भारत में राष्ट्रभाषा का ऐतिहासिक विकास एवं संवैधानिक स्थिति:

स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात विभाजन की स्मृतियों, ब्रिटिश राज के समय में अंग्रेजी के प्रभुत्त्व एवं भारत के इतिहास में कई सारे राज्यों के होने व उनमे परस्पर इर्ष्या व संघर्ष की स्मृतियों के कारण भारत के संविधान निर्माताओं की मुख्य चिंता भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को सुरक्षित रखना और उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना था। अतः राष्ट्रभाषा का होना जरुरी समझा गया और उसके लिए कई सारे विकल्पों को सुझाया गया। सबसे मजबूत पक्ष "हिन्दी" का था जो सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। वहीं नेहरु जी व गांधी जी "हिन्दुस्तानी" को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहते थे जो हिंदी व उर्दू का अद्भुत संगम थी व सामान्य बोलचाल की भाषा थी। वहीं कुछ लोग अंग्रेजी को, तो कुछ संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। दक्षिणी राज्यों व अन्य राज्यों ने इसका पुरजोर विरोध किया जिसके कई राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक कारण थे अंततः इसका अस्थायी समाधान यह निकाला गया कि "हिन्दी, अंग्रेजी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया एवं त्रिभाषी शिक्षा व्यवस्था को प्रोत्साहन देने की बात की गयी। राज्यों को अपनी मातृभाषा को राजकीय भाषा घोषित करने की स्वायत्तता दी गयी भारत सरकार एवं राज्यों की सरकार के बीच संचार के लिए हिन्दी एवं अंग्रजी का उपयोग सुनिश्चित किया गया।

यह व्यवस्था 1952-65 के बीच अस्थायी रूप से संविधान में भी कहा गया किन्तु 1960 के दशक में दक्षिणी राज्यों में व्यापक एवं हिंसक हिन्दी विरोधी प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन सरकार ने इसे स्थायी व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया। फिर भी संविधान (धारा 351 के अनुसार) यह आदेश देता है कि हिन्दी की स्वीकार्यता का निरंतर प्रयास किया जाए और उसको सरल एवं हर क्षेत्र में उपयोग करने के लिए विकसित किया जाये ताकि वह समय आने पर राष्ट्र भाषा का दर्जा प्राप्त कर सके।

राज भाषा हिन्दी की संवैधानिक स्थिति :

हमारे देश का संविधान 2 वर्ष, 11 माह तथा 18 दिन की अवधि में निर्मित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व देश में स्वतंत्रता आन्दोलन के साथ-साथ हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाये जाने की सर्वाधिक मांग की जाती रही थी।

संविधान निर्माताओं ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाये जाने की मांग को ध्यान रखते हुए संविधान सभा ने 14 सितम्बर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार करते हुए राजभाषा हिंदी के सम्बन्ध में प्रावधान किये। सन 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिन्धी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी सन 1992 में 71 वें संविधान संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी भाषाएँ 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई सन 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा संथाली, मैथिली, बोडो तथा डोगरी भाषाएँ 8वीं अनुसूची में जोड़े गए। इस प्रकार अभी तक 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है।

राष्ट्रभाषा पर गांधीजी का विचार:

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी अपने-आप में एक चलती-फिरती प्रयोगशाला थे, जो पहले स्वयं अपने ऊपर प्रयोग करते थे और निष्कर्ष तक पहुँचने के बाद ही औरों को अपना विचार या राय देते थे। उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार दिए जैसे सत्य, अहिंसा, अध्यात्म, धर्म, दर्शन, राजनीति, संस्कृति, भाषा, इत्यादि आज के समय में जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए यदि हम गांधी जी द्वारा बताये रास्ते पर चलें तो हर समस्या का सहज समाधान स्वतः ही मिल जाता है गाँधी जी की इस चिन्तनशीलता को ध्यान में रखकर ही महान वैज्ञानिक आइन्स्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढियां मुश्किल से ही विशवास करेंगी कि हाड़-मांस का ऐसा कोई पुतला सचमुच इस धरती पर रहा होगा।

भारत जैसे विशाल देश में विभिन्न भाषाएँ प्रचलित हैं और देश की एकजुटता के लिए एक संपर्क भाषा का होना जरुरी है, यह बात गांधीजी भली-भांति जानते थे अन्यथा देश को एकता के सूत्र में नहीं बंधा जा सकता। दक्षिण अफ्रीका से बैरिस्टरी की पढ़ाई पूरी कर देश लौटने के बाद गांधीजी ने पूरे भारत का भ्रमण किया और देश को समझने का प्रयास किया। उनका मानना था कि हिंदी देश में सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है जो सभी भारतीय भाषाओं के बीच एक सेतु का कार्य कर सकती है। अतः गांधीजी ने सोच-समझ कर खादी को राष्ट्रीयता तथा हिंदी को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनाया था। गांधीजी ने हिंदी को स्वाधीनता संग्राम से जोड़ दिया था, क्योंकि वे भली-भांति जानते थे कि जन आन्दोलन, जनभाषा के बिना संभव नहीं है। गांधीजी ने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में यह निर्णय लिया कि देश को एकजुट करने के लिए प्रांतीय बैठकें अपनी-अपनी प्रांतीय भाषाओं तथा राष्ट्रीय बैठकें हिंदी में होने आवश्यक हैं। गांधीजी के प्रयास से ही स्वाधीनता संग्राम में हिंदी ने सभी भारतीय भाषाओं में समरसता कायम करते हुए राष्ट्रभाषा का स्वरुप लिया और जगह-जगह से आवाजें उठने लगी कि हम आज़ादी ले कर रहेंगे और आज़ादी के बाद हिंदी देश की राष्ट्रभाषा होगी।

गांधीजी जानते थे कि हिंदी देश के अधिकांश लोगों की जुबान और देश की संपर्क भाषा होने के नाते इसे राष्ट्रभाषा का अधिकार मिलना चाहिए। उनके अनुसार राष्ट्रभाषा सरल होनी चाहिए, जिसे देश की अधिकांश जनता उसे जानती हो। गांधीजी का कहना था कि यदि स्वराज मुट्ठी भर अंग्रेजी जानने वाले लोगों के लिए होता तो अंग्रेजी राष्ट्रभाषा हो सकती थी, लेकिन स्वराज तो करोड़ों गरीबों, दलितों, महिलाओं और ग्रामीणों के लिए होगा जिनकी भाषा हिंदी है तथा किसी विदेशी भाषा में शासन चलाना देश के स्वाभिमान के प्रतिकूल होगा। भाषा और संस्कृति पर जितना चिंतन गांधीजी ने किया शायद ही किसी ने उतना चिंतन किया हो।

गाँधी जी चाहते थे कि राज्यों में प्रांतीय भाषाओं तथा केंद्र में हिन्दी का उपयोग देश की प्रगति के लिए आवश्यक है। जब प्रांतीय भाषाएं आगे बढ़ेंगी तो हिन्दी भी बढ़ेगी चूंकि हिन्दी की जड़े तो भारतीय भाषाओं और लोक भाषाओं में हैं जिसमें हमारे रीति-रिवाजों और परम्पराओं का सतत् प्रवाह होता रहता है और हमारा देश एकजुट होता रहता है। गाँधी जी कहते थे कि हमें आम हिन्दी का उपयोग करना चाहिए जिसमें लोकभाषा, मुहावरों तथा उर्दू मिश्रित हिन्दी यानि हिंदुस्तानी का उपयोग करना चाहिए ताकि हर व्यक्ति उसे आसानी से समझ सके। गाँधी जी सभी भारतीय भाषाओं की लिपि "देवनागरी" करने के पक्ष में थे और कहते थे कि कुछ हिंदुओं को उर्दू और कुछ मुसलमानों को संस्कृत भी सीखनी चाहिए जिससे पारस्परिक सौहार्द बना रहे। इस प्रकार गाँधी जी गंगा-जमुना संस्कृति के पक्षधर थे ताकि देश में सांस्कृतिक एकता को और अधिक सुदृढ़ता मिले।

इस प्रकार हम देखते हैं कि गाँधी जी का भाषा दर्शन बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण था और वे भारतीय भाषाओं के बीच हिन्दी को संपर्क सूत्र के रूप में राष्ट्रभाषा के रूप में प्रशिक्षित करना चाहते थे ताकि पूरा देश संस्कृतिक और भाषायी दृष्टि से एकजुट हो सके तथा देश का सर्वांगीण विकास हो सके। वे हिन्दी की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उनके लिए अंग्रेज़ी स्वीकार करने का मतलब था- अंग्रेज़ों की गुलामी स्वीकारना जिसे वे और अधिक सहन नहीं करना चाहते थे। गाँधीजी हिन्दी को माँ की तरह मानते थे और कहते थे कि माँ को उसका पूरा सम्मान नहीं मिल रहा है और यदि हमने उसकी और उपेक्षा की तो यह माँ की हत्या करना ही होगा। अतः गाँधीजी की दूरदर्शिता और अनुभव को ध्यान में रखकर हमें दिल से हिन्दी का पूरा सम्मान करते हुए उसका उपयोग कर गर्व महसूस करना चाहिए।

निष्कर्ष :

हिंदी को राष्ट्रभाषा के स्वरुप में अपनाने के लिए जहाँ कई चुनौतियां हैं, वहीं कई अच्छी संभावनाएं भी हैं। जरूरत है कि हिंदी की स्वीकार्यता को बढ़ाया जाए कोई भी भाषा स्थिर नहीं रह सकती है। निरंतर प्रगति एवं विकास ही भाषा को स्वस्थ एवं जीवित रखती है और उसके लिए अन्य भाषाओं, संस्कृतियों से आदान-प्रदान अत्यंत आवश्यक है। इसलिय हिंदी को अपने शब्दकोष को अंग्रेजी, कन्नड़, तमिल, आदि क्षेत्रीय भाषाओं की सहायता से विस्तारित करना चाहिए जैसे ऑक्सफ़ोर्ड का शब्दकोष लोकप्रिय शब्दों को अपनाता है चाहे वह किसी भी भाषा के क्यों न हों। इससे हिंदी की जटिलता को कम करने व इसका प्रयोग नए क्षेत्रों व भू-भागों में बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।

अंततः हमें यह समझना होगा कि राष्ट्रभाषा लोगों पर थोपने से नहीं हो सकती बल्कि एक जन-आन्दोलन के रूप में स्वयं ही उत्पन्न होनी चाहिए। यदि हम हिंदी को एक सरल, उपयोगी, प्रगतिवादी, लोकप्रिय, लचीली एवं निरंतर परिष्कृत करते रहें, तो एक दिन जल्द ही राष्ट्रभाषा के रूप में सभी देशवासियों को स्वीकार्य होगी।

सन्दर्भः

1. गौड़, वी.पी. (2020). गाँधी जी का भाषा दर्शन, राजभाषा मंजूषा, 23, 9-12.
2. राय, डी. (अक्टूबर, 2023), राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा की वर्त्तमान स्थिति. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ आर्ट्स एंड एजुकेशन रिसर्च, 12(5), 15-21.
3. सांकृत्यायन, आर. (2004). राष्ट्रभाषा हिंदी. दिल्लीः राधाकृष्ण प्रकाशन,
4. शर्मा, आर. (2003). भारत की भाषा समस्या, नई दिल्लीः राजकमल प्रकाशन,
5. यादव, डॉ. आर. (2024). हिंदी की सार्वभौमिकता, राष्ट्रभाषा, 39-45.